तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2015 भगवत कंवर बनाम सरकार	
10.01.2018	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित हमने उभ्य पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अद्योपान किया संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम कांकाणी के खसरा नं. 360/3 रकबा 13 बीघा आया हुआ है और प्रार्थनी द्वारा उक्त अराजियात् में से 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरिदी है। विवादगज भूमि का बटवाड़ा नहीं हुआ है तथा इस भूमि के पूर्व में खसरा नं. 360/8, उत्तर में खसरा नं. 1067/360 तथा खसरा नं. 1068/360 तथा दक्षिण दिशा में खसरा नं. 360/2/1 दक्षिण दिशा में स्थित है और पूर्व दिशा खाली है प्रार्थीगण की खरिद सुदा भुमि की तरमीन राजस्व नक्शे में कबजे के अनुसार नहीं की गई है और तरमीन वादगज भूमि को पश्चिम दिशा की तरफ सरकार खसरा नं. 360/8 से लगती हुई दर्शायी गई है इसलिए पुनः तरमीन किया जावे। तहसीलदार लूणी नेइसका जवाब जरिए पत्रांक 684 दिनांक 15.05.2015 को प्रस्तुत करते हुए बताया कि हल्का पटवारी की रिर्पोट अनुसार प्रार्थी का मौके पर खसरा नं. 1067/360,1068/360 उत्तर दिशा में तथा खसरा नं. 360 पूर्व दिशा में खसरा नं. 360/8 पश्चिम दिशा में खसरा नं. 360/2/1 दक्षिण दिशा में पडौस में स्थित है। राजस्व नक्शा लट्ठा में खसरा नं. 360/8 व खसरा नं. 360/3 के बीच मूल खसरा नं. 360 की खाली छोडी हुई भूमि है जो सही नहीं है। रिपोर्ट अनुसार वास्तव में कब्जा मौके अनुसार प्रार्थी खातेदारों की भूमि खसरा नं. 360/8 से लगती हुई है ग्राम कांकाणी का खसरा नं. 360/3 रकबा 13. 00 बीघा जो कि पूर्व में खातेदार उरजाराम पुत्र श्री बुधाराम जाट से जरिये रजि. बेचान दिनांक 3.10.2002 को श्री रणजीत सिंह पुत्र मगलसिंह देवड़ा, मानसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह, मेहन्द्रसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत द्वारा संयुक्त रूप से कय की हुई है। उसके पश्चात् खसरा नं. 360/3 में से ही रकबा 6.10 गंगासिंह पुत्र अमरसिंह वगैरह के नाम तथा खसरा नं. 360/3 में से रकबा 6.10 बीघा भूमि उगमकंवर पत्नी अमर सिंह वगैरह के नाम दर्ज हुई। पूर्व में उरजाराम द्वारा कय की गई 15 बीघा भूमि का पडौस निम्नानुसार बैचान में अंकित है। उत्तर में खसरा नं. 360/5, 1067/360, 1066/360/5 दक्षिण में पडत भूमि पूर्व में पडत भूमि पश्चिम में पडत भूमि व आसू का खेत दर्ज है। उसके बाद हुए बेचान में गंगासिंह वगेरह के 6.10 बीघा में उत्तर दिशा में खसरा नं. 360/5 व 380 दक्षिण दिशा में 360/2 /1 व 380, पूर्व में 380 की भूमि अंकित है तथा उगम कंवर पत्नी अमर सिंह वगेरह के 360/3 में 6.10 बीघा के पडौस उत्तर में खसरा नं. 360/5 दक्षिण में 360/2/1 पूर्व में इसी खसरे की शेष भूमि, पश्चिम में 360/8 अंकित है नक्शे लट्ठे में खसरा नं. 360/3 तरमीम की हुई है। जिसके उत्तर में खसरा नं. 360/5 एवं शेष तीनों दिशाओं में पडत भूमि दर्शायी हुई है नक्शे लट्ठे में तरमीम कब व किसके द्वारा की गई है उसका नक्शा लट्ठा में कोई नोट अथवा हस्ताक्षर नहीं है। खसरा नं. 360/3 रकबा 15 बीघा का नामांतरकरण संख्या 978 दिनांक 07.10.2005 को दर्ज किया हुआ है जिसके पुस्त पर अंकित नक्शे में भी उत्तर दिशा में आदे हिस्से में खसरा नं. 360/5 दर्ज है। शेष में कोई पडौस नहीं है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा खसरा नं. 360/8 की सीमा से लगाकर है तथा पूर्व	

10/1/18
अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

दिशा में खसरा नं. 360 की शेष भूमि है। नक्शे में जो खसरा नं. 360 बताया है जो सही नहीं है। इस भू–अभिलेख रिर्पोट पर तहसीलदार लूणी द्वारा 01.06.2015 को अंकित किया है। कि स्पष्ट रिर्पोट करे की बेचान नाम एंव नामांतरकरण की पुस्त पर नजरीय नक्शों को आधार मानकर रिर्पोट करे तथा यह भी स्पष्ट करे की शेष भूमि जेडीए के खाते में दर्ज है। उसकी स्थिति क्या रहेगी। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 1434 दिनांक 29.12.2017 को तहसीलदार को स्पष्ट रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया किन्तु आज दिनांक कोई रिर्पोट पेश नहीं की गई है। इस संबंध में जैसा कि पत्रांक 684 दिनांक 15.05.2015 में जो रिर्पोट पेश की गई है उस रिर्पोट की पुष्टि हल्का पटवारी कांकाणी की रिर्पोट दिनांक 15.05.2015 से हो रही है और यह अंकित किया है कि वर्तमान नक्शे में खसरा नं. 360/8 एवं 360/3 के बीच मुल खसरा नं. 360 की खाली भूमि छोडी हुई है जो अशुद्व है मौका एवं कब्जा अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 360/8 से लगती हुई है इस तरमीम से अन्य पडौसी खातोदारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा और न ही इसमें राजहीत प्रभावित होगा। हल्का पटवारी यह रिर्पोट तहसीलदार लूणी की रिर्पोट दिनांक 1.06.2015 से मेल नहीं खाती है।

उपरोक्त वर्णितानुसार हमारा यह मत है कि एक कयेता खातेदार को अपनी भूमि की तरमीम करवाये जाने का भूराजस्व अधीनियम के तहत् अधिकार प्राप्त है हमें यह देखना होगा की प्रार्थी द्वारा जो मौके पर कब्जा कास्त अनुसार तरमीम चाही गई है उससे राजहीत अथवा पडोसी खातेदारों को कोई परेशानी अथवा कोई विपरीत प्रभाव उनके हीतों पर नहीं पडेगा इसके अनुरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अत : आदेश है कि प्रार्थी की खरिदशुदा भूमि ग्राम कांकाणी के खसरा नं. 360/3 रकबा 13 बीघा की तरमीम प्रार्थी के कब्जे को ध्याम में रखते हुए किये जाने के निर्देश तहसीलदार लूणी को दिये जाते है साथ यह भी आदेशित किया जाता है कि विवाद ग्रस्त भूमि को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड एवं मौके की विस्तृत जांच के पश्चात बाद संतुष्टी राजस्व रेकर्ड में तरमीम करे।आदेश सुनाया गया पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर

18/01/2018

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner